GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 56/91

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5. New Delhi, dt. 18 -3-1991.

The General Manager,
All Indian Railways including CLW, DLW, DCW,
ICF, DG/RDSO.

CORRIGENDUM

Sub : Revision of pay scales of school teachers.

Ref : This Ministry's letter of even number dt. 11.1.88 & 28.7.88 and PC-IV/86/Imp/46 dt. 30.10.87.

The following words appearing in the last sentence of para 5 of this Ministry's letter of even number dated 11.1.88 may be deleted:

" and Group 'B' (Class II) respectively."

Kindly acknowledge receipt.

(A.C.BAKSHI)
JT. DIRECTOR, ESTT.(P&A).
RAILWAY BOARD.

DA: NIL.

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5. New Delhi, dated 18.3.1991.

Copy forwarded to FA & CAOs, All indian Railways including CLW, DLW, DCW, ICR and RDSO.

(A.C.BAKSHI)
JT. DIRECTOR, ESTT.(P&A).
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5. New Delhi, dated 18.3.1991.

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways) for information.

for Financial Commissioner/Railways.

....2/-

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5. New Delhi, dated 18.3.1991.

Copy with 35 spares each to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.

2. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.

3. All members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff side, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

for Secretary/ Railway Board.

Copy to :-

PSs to CRB, FC, MS, ME, ML, MM, MT, ADV.(S), ADV(F).

SPAs to EDPC, EDE, EDE(IR), JDE(P&A), DEN, DE(GC).

JDE(GP), JDE(GR), JDE(W),

E(G), E(W), E(NG)I,II, F(E)I,II,III, F(E)Spl., E(GR)I, E(GR)II, E(GP), PC-III, PC-IV, E(P&A)II, E(REP)I,II, III.

The Railway Board Ministerial Staff Association, Room No. 7-B, Rail Bhawan, with five spares.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर॰बी॰ई नं॰ 56/91॰

संख्या: ई(पी एंड ए)I-87/पी एस-5/ पी ई-5॰ नई दिल्ली, ता: 18 -3-1991॰

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें तथा चि॰रे॰का॰, डी॰रे॰का॰,
डीजल कलपुर्जा कारखाना, स॰डि॰का॰ और

महानिदेशक,
अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन,
लखनऊ

शुद्धि-पत्र

विषय : स्कूल अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन ।

संदर्भ : इस मंत्रालय के दि0 11॰1॰88 एवं 28॰7॰88 के समसंख्यक पत्र तथा दि0 30-10-87 का पत्र सं॰ पी सी-4/86/आई॰एम॰पी॰/46 के क्रम में ।

इस मंत्रालय के दि0 11-1-88 के समसंख्यक पत्र के पैरा 5 की अन्तिम पंक्ति में विद्यमान निम्नलिखित शब्दों को हटाया जाये :-

"क्रमशः" एवं "और ग्रुप बी (श्रेणी -II)"

कृपया भावती दें ।

(एल॰बी॰ बख्शी)
(ए॰सी॰ बख्शी)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वे एवं भ-)
रेलवे बोर्ड ।

संलग्न : कुछ नहीं ।

सं0 ई(पी एंड ए)I-87/पी॰एस॰5/पी ई-5 नई दिल्ली, दि0 18-3-1991॰

प्रतिलिपि चि॰रे॰का॰, डी॰रे॰का॰, डी॰कलपुर्जा का॰, सं॰डि॰का॰ तथा अ॰अ॰मा॰सं॰ सहित वि॰स॰ एवं मु॰ले॰अ॰, सभी भारतीय रेलों को प्रेषित ।

(एल॰बी॰ बख्शी)
(ए॰सी॰ बख्शी)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वे एवं भ-
रेलवे बोर्ड ।

संलग्न : कुछ नहीं ।

....2/-

सं0 ई(पी एंड ए)1-87/पी·एस·5/पी·ई·5 नई दिल्ली, दि0 18-3-1991·

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) को सूचनार्थ प्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त/ रेलें

सं· ई(पी एंड ए)1-87/पी·एस·5/पी·ई·5 नई दिल्ली, दि0 18-3-1991·

प्रतिलिपि प्रत्येक को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित :-

1· जनरल सेक्रेटरी, एन·एफ·आई·आर·, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली ।
2· जनरल सेक्रेटरी, ए·आई·आर·एफ·, 4, स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली ।
3· राष्ट्रीय परिषद्, विभागीय परिषद् के सभी सदस्य और सचिव कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।